

# न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा  
प्रकरण संख्या : 11 / 2024  
जीसीएमएस नं. : 2024 / 82

प्रार्थी :-

सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी,  
जिला रसद कार्यालय, बांसवाड़ा

अप्रार्थी :-

बनाम

श्री हर्ष जैन, प्रोपराईटर राजरतन स्वीट्स, लोहारिया,  
जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)

उपस्थित

-विभागीय प्रतिनिधि

श्री नागेन्द्र सिंह राठौड़, अधिवक्ता

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

दिनांक :- 09-01-2025

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो के दुरुपयोग / अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध दिनांक 17.09.2024 से 27.09.2024 तक चलाए गए सघन अभियान के तहत दिनांक 24.09.2024 को लोहारिया मे राजरतन स्वीट्स की जांच उसके प्रोपराईटर श्री हर्ष जैन की उपस्थिति में श्री मणि खिंची प्रवर्तन अधिकारी, श्री धर्मेन्द्र कुमार रोट प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनिल कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। मौके पर 1 घरेलू सिलेण्डर का उपयोग कर मिठाई बनाना पाया गया एवं 01 फर्म पर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डरो का विवरण निम्नानुसार है-

क्र. स.	नाम ऑयल कम्पनी	सिलेण्डर का एस. आर. नम्बर	कुल वजन किग्रा. में	खाली सिलेण्डर वजन	गैस का वजन
1	भारत गैस	954323 E	29.000	16.200	12.800
2	भारत गैस	334451 J	30.000	16.100	13.900

श्री हर्ष जैन द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डरो के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।



*(Handwritten signature)*

इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 01 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग एवं 1 अन्य घरेलु सिलेण्डर का अवैध भण्डारण करना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लंघन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 02 घरेलु गैस सिलेण्डर मय रेग्यूलैटर, रबर ट्यूब एव सिंगल गैस भट्टा जब्त किया जाकर तन्मय गैस एजेन्सी, जगपुरा के अधिकृत प्रतिनिधि श्री नीरज खेरवानिया को सुपुर्दगी में दिया गया।

इस प्रकार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर मौके से उपरोक्तानुसार जप्त 02 घरेलु गैस सिलेण्डर मय रेग्यूलैटर, रबर ट्यूब एव सिंगल गैस भट्टा को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 27.11.2024 को अप्रार्थी की ओर से श्री नागेन्द्र सिंह राठौड अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ। दिनांक 09.01.2024 को अप्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जांच के दौरान जो 2 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किया गया है जब्तशुदा गैस सिलेण्डर अप्रार्थी का नहीं है। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से घरेलु गैस सिलेण्डर उपयोग, व्यवसाय या भण्डारण नहीं किया जाता है ना ही अप्रार्थी के कब्जे से पाया गया है। जब्तशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर को यदि जप्त किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बहस के दौरान अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा जवाब में उल्लेखित बिन्दुओं को दौहराया।

विभागीय प्रतिनिधि की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 24.09.2024 को लोहारिया में राजरतन स्वीट्स की जांच उसके प्रोपराईटर श्री हर्ष जैन की उपस्थिति में श्री मणि खिंची प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनिल कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। मौके पर 1 घरेलु सिलेण्डर का उपयोग कर मिठाई बनाना पाया गया एवं 01 फर्म पर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया। श्री हर्ष जैन द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डरों के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 01 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग एवं 1 अन्य घरेलु सिलेण्डर का अवैध भण्डारण करना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लंघन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 02 घरेलु गैस सिलेण्डर मय रेग्यूलैटर, रबर ट्यूब एव




*(Handwritten signature)*

सिंगल गैस भट्टा जब्त किया जाकर तन्मय गैस एजेन्सी, जगपुरा के अधिकृत प्रतिनिधि श्री नीरज खेरवानिया को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार कर उपरोक्तानुसार जप्त 02 घरेलु गैस सिलेण्डर मय रेग्यूलैटर, रबर ट्यूब एव सिंगल गैस भट्टा को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी से उपरोक्तानुसार व्यवसायिक स्थान पर 02 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग एवं भण्डारण करना पाया गया है। पत्रावली के संलग्न फर्द मौका एवं जब्ती पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक फर्म पर घरेलु गैस का उपयोग किया जाना व भंडारण किया जाना प्रमाणित है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार जब्त शुदा 02 घरेलु गैस सिलेण्डर मय रेग्यूलैटर, रबर ट्यूब एव सिंगल गैस भट्टा को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा उक्त गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 09-01-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. इंद्रजीत यादव)  
जिला कलेक्टर  
बांसवाड़ा (राज.)  
बांसवाड़ा (राज.)